



बीमा लोकपाल परिषद, मुंबई

बीमा लोकपाल पद के लिए रिक्तियां

चेन्नई, मुंबई और ठाणे (खुलने जा रहा हैं) के हर एक केंद्र में एक बीमा लोकपाल पद की नियुक्ति के लिए, जो व्यक्ति आवेदन प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तिथी पर निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आयु : विज्ञापन में आवेदन की प्राप्ति के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख को पचपन(55) वर्ष से कम किन्तु पैसठ(65) से अधिक आयु का नहीं हो।

अनुभव : क) आवेदक अखिल भारतीय सेवा या संघ की सिविल सेवा के सदस्य के रूप में कार्यरत है/था तथा उसने भारत सरकार में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण किया होना चाहिए ।

स्पष्टीकरण: सेवा अवधि की गणना केंद्रीय सरकार में उनकी भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समतुल्य के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से की जाएगी

या

ख) आवेदक ने बीमा उद्योग में कम से कम पचीस वर्ष की सेवा की है और उसने कम से कम बोर्ड में निदेशक के पद से अन्यून पद धारण किया हो।

स्पष्टीकरण: सेवा अवधि की गणना बीमा उद्योग में बोर्ड के निदेशक स्तर के अव्यवहित न्यून या बोर्ड के निदेशक स्तर पर प्रथम नियुक्ति की तारीख से, जो भी पहले हो, की जाएगी

पारिश्रमिक : लोकपाल को दो लाख पचीस हजार रूपये नियत वेतन अनुशासन किया जाएगा और कोई पेशन जिसका वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त करने का हकदार है, को उसके वेतन में से घटाया जाएगा ।

अवधि : तीन साल, या अड़सठ साल की उम्र की प्राप्ति तक, जो भी पहले हो, और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।

बीमा लोकपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया और चयन मानदंड, नियम और शर्तें तथा कर्तव्य और कार्य समय-समय पर संशोधित बीमा लोकपाल नियम, 2017 के अनुसार होंगे (<https://www.cioins.co.in/OmbudsmanRules2017>)

ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि: **02.12.2023**

चयनित बीमा लोकपाल की नियुक्ति उल्लिखित किसी भी एक केंद्र पर हो सकती हैं।

नियुक्ति की अन्य शर्तें इस प्रकार होंगी:

i) वेतन और भत्ते(Pay and Allowances):

लोकपाल को दो लाख प चीस हजार रुपये नियत वेतन अनुज्ञात किया जाएगा और कोई पेंशन जिसका वह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार से प्राप्त करने का हकदार है, को उसके वेतन में से घटाया जाएगा। केंद्र सरकार में समकक्ष वेतनमान वाले समूह 'ए' के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य दरों पर महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा।

ii) मकान और कार की सुविधा के बदले में रु.75,000/- का एक निर्धारित भत्ता प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा।

III) अवकाश यात्रा रियायत (Leave Travel Concession LTC):

कार्यकाल के दौरान एक बार अवकाश यात्रा रियायत पाने के हकदार होंगे। LTC की स्वीकार्यता (admissibility), भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के समकक्ष होगी।

IV) चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएं (Facilities for Medical Treatment):

सेवानिवृत सरकारी सेवकों के लिए केंद्र सरकार की स्वास्थ्य सेवा (CGHS)योजना के अनुसार चिकित्सा उपचार और अस्पताल सहायत जैसी सुविधाएं या सार्वजनिक उपक्रम की बीमा कंपनियों के सेवानिवृत पूर्णकालिक निदेशकों को पिछले रोजगार के अंतर्गत जो मेडिकलेम सुविधाएं यदि वह पिछले रोजगार के आधार पर उपलब्ध नहीं हैं तो इस स्थिति में लोकपाल के रूप में कार्यकाल की अवधि के दौरान रु 20,000/ प्रति वर्ष प्रीमियम की प्रतिपूर्ति पर मेडिकलेम बीमा के लिए लोकपाल हकदार होंगे।

IV) अवकाश :

लोकपाल सालाना 10 दिनों के आकस्मिक अवकाश, 30 दिनों के अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर 20 दिनों की या पूरे वेतन पर 10 दिनों के लिए सिक लीव के लिए हकदार होंगे। वर्ष के अंत में जमा आकस्मिक अवकाश शेष समाप्त (lapse) हो जाएगा। वर्ष में एक बार जमा की गई अर्जित अवकाश का 50%, 3 साल के पूरे कार्यकाल के दौरान अधिकतम 45 दिनों के

अर्जित अवकाश का नकदीकरण करने का हकदार होगा। कार्यकाल के अंत में शेष अर्जित अवकाश और शेष सिक लीव समाप्त(lapse) हो जाएगा।

V) यात्रा भत्ता

दौरे के समय, लोकपाल को प्रतिदिन रु .1800/- का दैनिक भत्ता दिया जाएगा। संगणना की पद्धति भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के लिए जो प्रचलन में हैं वह लागू होगी।

दौरे /यात्रा के लिए यात्रा का माध्यम (mode), ठहरने (lodging) के शुल्क, आकस्मिक व्यय(incidentals) आदि से संबंधित नियम, जो भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक के लिए प्रचलन में हैं वह लागू होंगे।

इस नियुक्ति को लेने के लिए लोकपाल किसी भी प्रकार के भत्ते या खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि, इस्तीफा, बर्खास्तगी या निष्कासन के कारण कार्यकाल समाप्ति को छोड़कर, कार्य अवधि (term) पूरा होने पर स्वयं और परिवार की यात्रा के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति और निजी सामग्री के परिवहन के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम के एक कार्यकारी निदेशक की पात्रता के अनुसार दावा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा।

लोकपाल के लिए देय भत्ते और अनुलाभ, (perquisites) केंद्र सरकार के पूर्व स्वीकृति के साथ बीमा लोकपाल परिषद द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

आवेदन पत्र केवल **ऑनलाइन** मोड के माध्यम से अंतिम तिथि यानी **02.12.2023** को या उससे पहले जमा किया जाना है, जो हमारी वेबसाइट www.cioins.co.in पर उपलब्ध है।

इस संबंध में यदि कोई प्रश्न हो तो, query-recruitment@cioins.co.in पर संपर्क किया जा सकता है।

महासचिव (बीमा लोकपाल परिषद)